मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 नवंबर, 2016

क्रमांक एफ 4–43 / 16 / 18–1 /

प्रति,

आयुक्त,
नगरीय प्रशासन एवं विकास,
मध्यप्रदेश, भोपाल

विषयः-- विघटित विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण / नगर सुधार न्यास एवं अन्य संस्थाओं के नगरीय निकायों में संविलित हुए कर्मचारियों को पेंशन का लाभ प्रदान किए जाने के संबंध में।

प्रदेश की नगरीय निकायों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन का लाभ प्रदान किये जाने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 95 एवं 86 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश नगरपालिका सेवा (पेंशन) नियम, 1980 बनाये गए हैं, जो कि दिनांक 01.04.1970 से प्रभावशील है। उक्त नियमों में वर्णित प्रावधानों एवं राज्य शासन द्वारा समय–समय पर जारी किए गए निर्देशों के अनुक्रम में संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास द्वारा नगरीय निकायों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन प्रदान की जाती है।

2. पेंशन योजना के संचालन के लिये वर्तमान में नगरीय निकायों द्वारा उनकी निकायों में दिनांक 01.01.2005 के पूर्व के कार्यरत कर्मचारियों के वेतनमान का अधिकतम के 12 प्रतिशत की दर से अंशदान प्रतिमाह पेंशन निधि में दिया जाता है। उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य शासन के आदेशानुसार संचालनालय द्वारा नगरीय निकायों को प्रतिमाह देय चुंगी क्षतिपूर्ति अनुदान से भी अतिरिक्त राशि काटकर पेंशन निधि में जमा की जाती है।

3. राज्य शासन द्वारा वर्ष 1994 में प्रदेश में गठित कुल 21 नगर सुधार न्यासों (TIT) वर्ष 1995, 1996, 1998 एवं 2000 में कुल 23 विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों (SADA) तथा वर्ष 2001 में मध्यप्रदेश गंदी बस्ती क्षेत्र (सुधार तथा निर्मूलन) मण्डल को विघटित कर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप उक्त संस्थाओं की अस्तियां एवं दायित्व तथा कर्मचारी प्रदेश की विभिन्न नगरीय निकायों में संविलित हो गए।

4. नगरीय निकायों में संविलित होने के पूर्व नगर सुधार न्यासों, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों एवं गंदी बस्ती क्षेत्र (सुधार तथा निर्मूलन) मण्डल में कार्यरत् कर्मचारियों के लिए अंशदायी भविष्य निधि योजना लागू थी, जिसका लाभ संस्था में कार्यरत् सभी कर्मचारियों द्वारा लिया गया है।

5. पेंशन योजना नगरीय निकायों द्वारा उनकी निकायों में कार्यरत् कर्मचारियों के लिए पेंशन निधि में प्रतिमाह दिए जा रहे अंशदान से संचालित होती है, अतः संचालनालय द्वारा नगर सुधार न्यासों / विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों / मध्यप्रदेश गंदी बस्ती क्षेत्र (सुधार तथा निर्मूलन) मण्डल के विघटन की दिनांक अर्थात् कर्मचारियों के नगरीय निकायों में हुए संविलियन की दिनांक से उनकी सेवाओं की गणना पेंशन का लाभ प्रदान करने के लिए की जाती है, क्योंकि उक्त कर्मचारियों के संबंध में नगरीय निकायों द्वारा पेंशन निधि में अंशदान संविलियन दिनांक से ही दिया जाता है।

6. विघटित नगर सुधार न्यासों/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों/मध्यप्रदेश गंदी बस्ती क्षेत्र (सुधार तथा निर्मूलन) मण्डल के नगरीय निकायों में संविलित हुए एवं सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों द्वारा विगत वर्षों में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष विभिन्न याचिकाएं इस आधार पर प्रस्तुत की गई, कि पेंशन का लाभ प्रदान करने हेतु उनकी सेवाओं की गणना उनके निकाय में संविलियन की दिनांक से न की जाकर प्रथम नियुक्ति दिनांक से की जाए एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी विभिन्न प्रकरणों में प्रथम नियुक्ति दिनांक से पेंशन का लाभ प्रदान करने के संबंध में निर्णय पारित किए गए। साथ ही यह भी निर्देश दिए गए, कि कर्मचारियों द्वारा अंशदायी भविष्य निधि योजना के अंतर्गत पूर्व में प्राप्त की गई समस्त राशि ब्याज सहित वापस की जाए।

अतः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न प्रकरणों में पारित किए गए निर्णयों के दृष्टिगत राज्य शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है, कि प्रदेश के विघटित नगर सुधार न्यासों/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों/मध्यप्रदेश गंदी बस्ती क्षेत्र (सुधार तथा निर्मूलन) मण्डल तथा अन्य संस्थाओं के दिनांक 01.01.2005 के पूर्व नगरीय निकायों में संविलित हुए कर्मचारियों को पेंशन का लाभ प्रदान किए जाने हेतु उनकी सेवाओं की गणना प्रथम नियुक्ति दिनांक से की जाए तथा उक्त कर्मचारियों द्वारा निकाय में उनके संविलियन के पूर्व उनके पक्ष में उनकी संस्था द्वारा जमा की गई अंशदायी भविष्य निधि की राशि (नियोक्ता अंशदान) समय-समय पर राज्य शासन द्वारा घोषित ब्याज दर सहित पेंशन निधि में जमा कराई जाए। उक्त आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.एस. वर्मा)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

पृ. क्रमांक एफ 4-43/16/18-1/

भोपाल, दिनांक 17 नवंबर, 2016

प्रतिलिपिः-

1. आयुक्त, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश, भोपाल।
2. समस्त आयुक्त, नगर पालिक निगम, मध्यप्रदेश।
3. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश।
4. समस्त परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण, मध्यप्रदेश।
5. समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद्, मध्यप्रदेश।
6. अध्यक्ष, नगर पालिक निगम एवं नगरपालिका पेंशनर संघ, 462, बजरंग नगर, इंदौर।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक एफ 4–43 / 2016 / 18–1 भोपाल, दिनांक 03 जुलाई, 2017

प्रति,

आयुक्त,
नगरीय प्रशासन एवं विकास,
भोपाल म.प्र.।

विषय– विघटित विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण / नगर सुधार न्यास एवं अन्य संस्थाओ के नगरीय निकायों में संविलियन हुए कर्मचारियो को पेंशन का लाभ प्रदान किये जाने के संबंध में ।

संदर्भः– विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 17 नवंबर 2016

––00––

उपर्युक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। उक्त पत्र की अंतिम पंक्ति से शब्द "उक्त आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा" विलोपित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

3/7/17
(आर.एस.वर्मा)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

पृ.क्र, एफ 4–43 / 2016 / 18–1 भोपाल, दिनांक 03 जुलाई, 2017
प्रतिलिपिः–

1. आयुक्त, नगर तथा ग्राम निवेश, म.प्र. भोपाल
2. समस्त आयुक्त, नगर पालिक निगम म.प्र.
3. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र.
4. समस्त परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण म.प्र.
5. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद / नगर परिषद म.प्र.
6. अध्यक्ष, नगर पालिक निगम एंव नगर पालिका पेंशनर संघ, 462 बजरंग नगर इंदौर

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

3/7/17
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग